



आवास अनुभाग/Housing Section  
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  
ICAR-Indian Agricultural Research Institute  
पूसा, नई दिल्ली-12 /Pusa, New Delhi-12



मि.सं. 20-6/2021-आ. /179

दिनांक: 02/03/2023

परिपत्र

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में यह लाया जाता है कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थानांतरण के उपरांत जो भी अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार स्वीकृत अवधि के पश्चात् संस्थान द्वारा आवंटित आवास को रिक्त नहीं करते हैं और अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखते हैं, ऐसे सभी कर्मचारी नुकसान प्रभार शुल्क (डैमेज लाइसेंस शुल्क) तथा जल शुल्क (यदि संबंधित आवास में लागू हो) का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। इससे संबंधित शुल्कों की सूची अनुसंलग्नक-1 पर देखी जा सकती है। इस विषय में पूर्व में भी इस अनुभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दि. 13/04/2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवगत कराया गया था, परंतु वर्तमान में कई ऐसे मामले इस अनुभाग के संज्ञान में आ रहे हैं जिनमें स्वीकृत अवधि समाप्त होने के काफी समय बाद भी सरकारी आवास को रिक्त नहीं किया जाता है और जब नियमानुसार शुल्क वसूलने की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है तो संबंधित कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा इन शुल्कों का ज्ञान न होने के कारण शुल्क माफ करने की प्रार्थना की जाती है जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि आवास आवंटन नियमावली को ध्यान में रखते हुए भविष्य में अनावश्यक धनराशि के भुगतान से बचें एवं आवास को शीघ्र-अति-शीघ्र स्वीकृत अवधि के भीतर खाली करने का दायित्व निभायें।

यह सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास)

प्रति:

1. निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजी सचिव।
2. सं.नि.(प्रसार/अनु./प्रशा.), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजी सचिव।
3. लेखानियंत्रक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजी सचिव।
4. सभी संभागाध्यक्षों/संभाग प्रभारियों को अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करवाने की व्यवस्था करवाने हेतु।
5. प्रभारी, ए.के.एम.यू., भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 को संस्थान की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड/हाउसिंग नोटिस पर अपलोड करने हेतु।
6. सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों (नाम द्वारा) जिनको तय सीमा तक आवास की सुविधा दी गई है।
7. गार्ड मिसिल।



आवास अनुभाग/Housing Section  
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  
ICAR-Indian Agricultural Research Institute  
पूसा, नई दिल्ली-12/Pusa, New Delhi-12



F.No. 20-6/2021/आ. /2391/50

Date: 13 /04/2021

**CIRCULAR**

It is often seen that after superannuation/death/transfer, the officials/employees who do not vacate the government quarter after permitted period & retain the same unauthorisedly, are liable to pay the damage charges of license fee as per rule. Due to incomplete information at their end, many objections are also raised by them. Hence, all officials/employees are hereby informed that rates of damage charges (as per **telescopic scheme**) are applicable for unauthorised occupation of government quarter after permitted period as per **Annexure I** (attached). In addition to, water charges will also be applicable.

Hence, all concerned are hereby advised to vacate the government quarter within the permitted period to avoid the payment of huge amount of damage charges/eviction of residence under **PP Act 1971**.

12/4/21

Admn. Officer(H)

**Copy to:**

1. PS to Director/JD(E)/JD(R)/JD(A), IARI, New Delhi-110012
2. Comptroller, IARI, New Delhi-110012
3. All Heads of Divisions, IARI, New Delhi-110012 to circulate among all the staff.
4. Incharge, AKMU, IARI, New Delhi-110012 to upload the same on the institute website.
5. Guard File.

Hindi version follows



आवास अनुभाग/Housing Section  
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  
ICAR-Indian Agricultural Research Institute  
पूसा, नई दिल्ली-12/Pusa, New Delhi-12



मि.सं. 20-6/2021/आ./2391/50

दिनांक: 13/04/2021

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि सेवानिवृत्ति/मृत्यु/स्थानान्तरण के उपरांत जो अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत अवधि के पश्चात् संस्थान द्वारा आवंटित आवास रिक्त नहीं करते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखते हैं, उनको नियमानुसार नुकसान प्रभार शुल्क (डैमेज लाइसेंस शुल्क) का भुगतान करना पड़ता है। जिसके विषय में पूर्ण जानकारी न होने के कारण उनके द्वारा आपत्ति भी जताई जाती है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में यह लाया जाता है कि सरकारी आवास को स्वीकृत अवधि अर्थात् आवास रद्द होने के पश्चात् रखने पर नियमानुसार Telescopic पद्धति के अनुसार (Annexure-1 पर देखा जा सकता है) वसूला जाएगा। इसके साथ साथ जल प्रभार की भी सामान्य वसूली की जाएगी।

अतः उपरोक्त डैमेज लाइसेंस शुल्क को सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में इसलिए लाया जाता है ताकि वे अनावश्यक धनराशि के भुगतान से बचते हुए स्वीकृत अवधि के अंदर ही सरकारी आवास को खाली कर दें तथा अन्य किसी कार्रवाही जैसे PP Act 1971 के अंतर्गत आवास की बेदखली से भी बच सकें।

  
12/4/21

प्रशासनिक अधि.(आ.)



प्रति:

1. निदेशक/सं.नि.(प्रसार)/सं.नि.(अनु.)/सं.नि.(प्रशा.), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजी सचिव।
2. लेखानियंत्रक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजी सचिव।
3. सभी संभागाध्यक्षों/संभाग प्रभारियों को अपने अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचालित करने हेतु।
4. प्रभारी ए.के.एम.यू. को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड मिसिल।



**Damage for Unauthorized Occupation type I to Type VI GPRA, Hostel  
Accommodation, Servant Quarters and Garages at Delhi w.e.f. 01/07/2020**

S. No.	Type	Area	L.Fee+ Water charges	Rates of Damage	Damage Normal (1 <sup>st</sup> month)	Damage +10% (2 <sup>nd</sup> month)	Damage +20% (3 <sup>rd</sup> month)	Damage +40% (4 <sup>th</sup> month)	Damage +80% (5 <sup>th</sup> month)	Damage +160% (6 <sup>th</sup> month)	Damage +320% (7 <sup>th</sup> month)	5 Times Damage after 7 month
1	I	Up to 30	180+8	40 Times	7200	7920	8640	10080	12960	18720	30240	36000
2	II	26.5 to 50	370+12	40 Times	14800	16280	17760	20720	26640	38480	62160	74000
3	III	44 to 65	560+18	40 Times	22400	24640	26880	31360	40320	58240	94080	112000
4	IV	59 to 91.5	750+23	40 Times	30000	33000	36000	42000	54000	78000	126000	150000
5	IV (S)	59 to 91.5	750+29	50 Times	37500	41250	45000	52500	67500	97500	157500	187500
5	V-A	Up to 106	1400+29	50 Times	70,000	77,000	84000	98000	126000	182000	294000	350000
6	V-B	Beyond to 106	1490	50 Times	74500	81950	89400	104300	134100	193700	312900	372500
7	VI-A	Up to 159.5	1840	50 Times	92000	101200	110400	128800	165600	239200	386400	460000
8	VI-B	Beyond 159.5	2200	50 Times	110000	121000	132000	154000	198000	286000	462000	550000
9	VII	189.5 to 224.5	2580	55 Times	141900	156090	170280	198660	255420	368940	595980	709500
10	VIII	243 to 522	4610	55 Times	253550	278905	304260	354970	456390	659230	1064910	1267750
11	S. Quarter		80	50 Times	4000	4400	4800	5600	7200	10400	16800	20000
12	Garages		50	50 Times	2500	2750	3000	3500	4500	6500	10500	12500